राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्र0एफ.4(78)सिवायचक/नियमन/विधि/पंरा/2017/1104 जयपुर,दि0 03-10-2017

ज़िला कलेक्टर,
समस्त, राजस्थान ।

विषयः— **ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर बने आवास गृहों के पट्टे दिये जाने बाबत ।**
प्रसंगः— **राजस्व विभाग का परिपत्र प.9(6)राज–6/2000/10 दिनांक 07.9.2017 एवं पंचायती राज विभाग का पत्र क्र0एफ.4(78) सिवायचक/नियमन/विधि/पंरा/2017/1102 दिनांक 15.9.2017 ।**

राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि आबादी के विकास हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के धारा–92 के तहत सेट अपार्ट की जाने वाली भूमि में से जिस सिवायचक भूमि का उपयोग कर लिया है उस भूमि को भी आबादी के विकास हेतु ग्राम पंचायत को आरक्षित एवं आवंटित कर दिया जाये तथा ग्राम पंचायत द्वारा अपने नियमों के अन्तर्गत ऐसे अतिक्रमियों से राशि लेकर आबादी भूमि के पट्टे जारी किये जा सकते हैं । इस सम्बन्ध में कार्रवाई किये जाने हेतु राजस्व एवं पंचायती राज विभाग द्वारा प्रासंगिक परिपत्र द्वारा जारी किये जा चुके हैं। उक्त दोनों परिपत्रों की प्रतियां सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न प्रेषित हैं ।

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि अभी तक इस सम्बन्ध में आप द्वारा अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गई है । इस सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने हेतु निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैंः–

1. ग्राम पंचायत स्तर पर सम्बन्धित ग्राम सेवक एवं पटवारी दोनों के द्वारा राजस्व विभाग के परिपत्र प.9(6)राज–6/2000/10 दिनांक 07.9.2017 में वर्णित (विधि द्वारा वर्जित/प्रतिबंधित श्रेणी/सार्वजनिक प्रयोजनार्थ की भूमि को छोड़ कर) भूमि पर बसे मकानों का जहां रहवासी दिनांक 01.1.2017 से पूर्व मकान बना कर रह रहे हैं, का संयुक्त सर्वे किया जायेगा। सर्वे के अनुसार सूची तैयार करेंगे तथा सूची के साथ उस व्यक्ति के दिनांक 01.1.2017 से पूर्व रहने के प्रमाणीकरण हेतु राशन कार्ड, वोटर आईडी, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड,

बिजली/पानी/टेलीफोन बिल में से कोई एक दस्तावेज़ जिस पर मकान का पता वर्णित हो, संलग्न करेंगे । उपरोक्तानुसार सर्वे उपरांत तैयार की गई सूची ग्रामसेवक एवं पटवारी दोनों के हस्ताक्षर कर, सम्बन्धित तहसीलदार को प्रस्तुत की जायेगी ।

2. सर्वे के दौरान यह ध्यान रखा जाये कि जहां ग्राम की वर्तमान आबादी भूमि से जुड़ी हुई सिवायचक भूमि पर मकान बने हों, उन्हें सेटअपार्ट हेतु सर्वे में सम्मिलित किया जाये । इससे अन्यत्र ऐसी सिवायचक भूमि जहां पर मकान बिखरे/छितरे हुए हों ऐसी सिवायचक भूमि पर कम से कम पांच मकान बने होने पर ही उन्हें सर्वे मे सम्मिलित किया जाये, इससे कम मकान होने की स्थिति में उन्हें सर्वे में सम्मिलित नहीं किया जाये। यह कार्यवाही 15 दिवस में आवश्यक रूप से पूर्ण कर ली जाये ।

3. तहसीलदार द्वारा उपरोक्तानुसार प्राप्त सूची पर राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 07.09.2017 के बिन्दु सं01 सूची में खसरा नम्बर एवं अतिक्रमित कर निर्मित आवासगृहों का क्षेत्रफल एवं नजरी नक्शें की प्रति जिसमें आवागमन हेतु रास्ते दर्शाये गये हों सहित सेटअपार्ट के प्रस्ताव तैयार कर उपखण्ड अधिकारी को भिजवाये जायेंगे ।

4. उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्राप्त प्रस्तावों पर सक्षम स्तर से सेटअपार्ट करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे ।

5. सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा उपरोक्तानुसार सेटअपार्ट की गई भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में आबादी भूमि के रूप में ग्राम पंचायत के नाम दर्ज किया जाकर जमाबन्दी की प्रति सहित विकास अधिकारी को प्रेषित की जायेगी ।

6. विकास अधिकारी का यह दायित्व होगा कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम–165 की पालना करवाते हुए, सम्बन्धित रहवासियों को ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे जारी करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे । राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 165(4) में अतिक्रमणों का विनियमन कर आवंटन करने का प्रावधान इस प्रकार से है:–

165. पंचायत भूमि पर के अतिचारियों का सर्वेक्षण और अतिक्रमणों का हटाया जाना (4) यदि पंचायत की यह राय हो कि यदि ऐसे अतिचार का विनियम कर दिये जाने से नियम 146 में उल्लिखित शर्तों का अतिक्रमण नहीं होगा तो वह अतिचारी भूमि को बाजार कीमत पर आंवटित करने का विनिश्चय कर सकेगी।

7. ग्राम पंचायत द्वारा उक्तानुसार नियमो की पालना करते हुए पट्टा जारी करते समय ध्यान रखा जायेगा कि वह एक परिवार को अधिकतम 300 वर्गगज या वास्तविक क्षेत्रफल, इसमें से जो भी कम हो, का ही पट्टा जारी करें ।
8. ग्राम पंचायत द्वारा ऐसे किसी परिवार को पट्टा नहीं दिया जायेगा यदि उस ग्राम पंचायत में उस परिवार के पास पूर्व में ही आवासीय मकान/आवासीय भूखण्ड है ।

समस्त ज़िला कलेक्टर से यह अपेक्षा है कि उपरोक्तानुसार सर्वे का कार्य तथा तहसीलदार के पास सर्वे आधारित सूचियां 15 दिवस की अवधि में तथा तहसीलदार द्वारा सेटअपार्ट के प्रस्ताव तैयार कर सक्षम अधिकारी द्वारा सेटअपार्ट की कार्यवाही किये जाने सम्बन्धित कार्य आगामी एक सप्ताह में करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

(खेमराज)
अतिरिक्त मुख्य सचिव
राजस्व विभाग

3.10.2017
(सुदर्शन सेठी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव
ग्रा0 वि0 एवं पं0 राज

प्रतिलिपिः--

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार ।
2. विशिष्ट सहायक, मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पं0 राज, राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक, मंत्री, राजस्व विभाग ।
4. विशिष्ट सहायक, राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पं0 राज, राजस्थान।
5. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, ग्रा0वि0 एंव पं0 राज ।
6. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, राजस्व विभाग ।

3/10/2017
उप शासन सचिव(विधि)

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांकःप.9(6)राज–6 / 2000 / 10 जयपुर,दिनांक 7/1/17

समस्त जिला कलक्टर
राजस्थान।

परिपत्र

विषयः– ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी विस्तार हेतु भूमि आरक्षण / आवंटन के संबंध में।

महोदय,

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये भूमि को आबादी विकास के लिए जिला कलक्टर सेट अपार्ट कर सकता है। अनाधिकृत रूप से सरकारी भूमि पर बने आवास गृहों की भूमि को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत आबादी के विकास हेतु सेटअपार्ट किया जा सकता है अथवा नही बाबत विधि विभाग से राय प्राप्त की गई।

विधि विभाग द्वारा इस संबध में यह स्पष्ट किया गया कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के अनुसार आबादी के विकास हेतु जिला कलक्टर द्वारा ऐसी सरकारी भूमि को भी सेटअपार्ट किया जा सकता हैं जिस पर किसी व्यक्ति ने अनाधिकृत रूप से आवास बना रखा है। किन्तु यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि ऐसी सेट अपार्ट भूमि मे से विधि द्वारा वर्जित / प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि का आवंटन किसी व्यक्ति के पक्ष में स्थानीय निकाय द्वारा नही किया जावे।

विधि विभाग द्वारा प्रदत्त उक्त राय के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि आबादी के विकास हेतु अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत सेट अपार्ट की जाने वाली भूमि मे से जिस सिवायचक भूमि का उपयोग कर लिया है उस भूमि को भी आबादी के विकास हेतु ग्राम पंचायत को आरक्षित एवं आवंटित कर दिया जाये तथा ग्राम पंचायत द्वारा अपने नियमों के अन्तर्गत ऐसे अतिक्रमियों से राशि लेकर आबादी भूमि के पट्टे जारी किये जा सकते है।

उक्त क्रम में निम्नानुसार कार्यवाही की जावे :–

1. तहसीलदार अपने तहसील क्षेत्र में सिवायक भूमि पर दिनांक 01.01.2017 तक आवासगृह बनाकर किये गये अतिक्रमणों को चिन्हित कर उनकी सूची तैयार करेगें। सूची में खसरा नम्बर एवं अतिक्रमित कर निर्मित आवासगृहों का क्षेत्रफल एवं नजरी नक्शे की प्रति जिसमें आवागमन हेतु रास्ते दर्शाये गये हो, जिला कलक्टर को भिजवायेगे।

2. दिनांक 01.01.2017 से पूर्व निर्मित आवास गृह की सूची तैयार करते समय राशन कार्ड, मतदाता सूची, बिजली/पानी/टेलीफोन बिल इत्यादि मे से कोई एक दस्तावेज अवश्य संलग्न करावे जिससे यह विदित हो सके कि परिवार दिनांक 01.01.2017 से पूर्व से निवास कर रहा है।

3. जिला कलक्टर भूमि सेटअपार्ट करते समय यह ध्यान रखेंगे कि जहां पर एक साथ बसावट हुई है उन भूमियों को ही आबादी विस्तार हेतु सेटअपार्ट करेंगे। छितराई आबादी बसावट को सेटअपार्ट करने में सावधानी रखेंगे ताकि अनावश्यक भूमि सेटअपार्ट नही हो।

4. जिला कलक्टर भूमि सेट अपार्ट कर पंचायत को आवंटन करते समय संबंधित ग्राम पंचायत को पाबन्द करेंगे कि वह एक परिवार को अधिकतम 300 वर्गगज या वास्तविक क्षेत्रफल, इसमे से जो भी कम हो, से अधिक भूमि का पट्टा नहीं दिया जाये।

5. जिला कलक्टर संबंधित ग्राम पंचायत को यह भी निर्देश देगे कि ग्राम पंचायत द्वारा ऐसे किसी परिवार के पक्ष में भी पट्टा नहीं दिया जाये यदि उस ग्राम पंचायत में उस परिवार के पास पूर्व में ही आवासीय मकान हैं।

उक्त क्रम में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निम्न श्रेणी की भूमि को छोडते हुए ही धारा 92 के अन्तर्गत आबादी के विकास हेतु भूमि सेट अपार्ट की जाये:-

1. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबंधित भूमि।
2. किसी तालाब, नदी, नाला, नाडी के जलप्रवाह क्षेत्र में स्थित भूमि, ओरण व चरागाह भूमि।
3. विशिष्ट नियमों के अन्तर्गत आरक्षित भूमि।
4. राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-ए के अन्तर्गत अरबनाईजेबल लिमिट या पैराफेरी बैल्ट के अन्तर्गत स्थित भूमि।
5. इंडियन रोड कांग्रेस के मापदण्डों के अनुसार सडक के मध्य से निर्धारित मापदण्डों मे स्थित राजकीय भूमि।
6. डीबी सिविल रिट पिटीशन संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार के निर्णय के अधीन स्थित भूमि।
7. वन विभाग के अधीन स्थित भूमि।
8. राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत बनाये गये नियमो के अन्तर्गत प्रतिबंधित क्षेत्र की भूमि।

(खेमराज)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क0एफ.4(78)सिवायचक / नियमन / विधि / पंरा / 2017 / 1102 जयपुर,दि0 18.9.2017
(15-9.17)

1. ज़िला कलेक्टर, समस्त, राजस्थान ।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
ज़िला परिषद, समस्त, राजस्थान ।

विषयः— ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर बने आवास गृहों के पट्टे दिये जाने बाबत ।

प्रसंगः— राजस्व विभाग का परिपत्र प.9(6)राज—6 / 2000 / 10 दिनांक 07.9.2017 ।

राजस्व विभाग के प्रासंगिक परिपत्र के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि आबादी के विकास हेतु राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के धारा—92 के तहत सेट अपार्ट की जाने वाली भूमि में से जिस सिवायचक भूमि का उपयोग कर लिया है उस भूमि को भी आबादी के विकास हेतु ग्राम पंचायत को आरक्षित एवं आवंटित कर दिया जाये तथा ग्राम पंचायत द्वारा अपने नियमों के अंतर्गत ऐसे अतिक्रमियों से राशि लेकर आबादी भूमि के पट्टे जारी किये जा सकते हैं । इस परिपत्र के अनुसार समस्त कार्यवाहीं सम्बन्धित ज़िला कलेक्टर के निर्देशन में की जानी है ।

ज़िला कलेक्टर द्वारा परिपत्र अनुसार सेट अपार्ट कर पंचायत को आवंटित की गई भूमि के पट्टे ग्राम पंचायत द्वारा अपने नियमों के अतर्गत ऐसे अतिक्रमियों से राशि लेकर जारी किये जायेंगे । इस सम्बन्ध मे स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 165(4) में अतिक्रमणों का विनियमन कर आवंटन करने का प्रावधान इस प्रकार से हैः—

165. पंचायत भूमि पर के अतिचारियों का सर्वेक्षण और अतिक्रमणों का हटाया जाना

(4) यदि पंचायत की यह राय हो कि यदि ऐसे अतिचार का विनियम कर दिये जाने से नियम 146 में उल्लिखित शर्तों का अतिक्रमण नहीं होगा तो वह अतिचारी भूमि को बाजार कीमत पर आवंटित करने का विनिश्चय कर सकेगी।

अतः आपसे अपेक्षा है कि उपरोक्तानुसार नियमानुसार कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करावें ।

(नवीन महाजन)
शासन सचिव एवं आयुक्त

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्र0एफ.4(78)सिवायचक/नियमन/विधि/पंरा/2017/1469 जयपुर,दि0 30-11-2017

ज़िला कलेक्टर,
समस्त, राजस्थान ।

विषयः– ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर बने आवास गृहों के पट्टे दिये जाने बाबत ।

प्रसंगः– विभागीय पत्र क्र0एफ.4(78) सिवायचक/ नियमन/विधि/पंरा/2017/1184 दिनांक 03.10.2017 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत पूर्व में जारी प्रासंगिक पत्र को अतिक्रमित करते हुए इस सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने हेतु निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं:–

1. ग्राम पंचायत स्तर पर सम्बन्धित ग्राम सेवक एवं पटवारी दोनों के द्वारा राजस्व विभाग के परिपत्र प.9(6)राज–6/2000/10 दिनांक 07.9.2017 में वर्णित (**विधि द्वारा वर्जित/प्रतिबंधित श्रेणी/सार्वजनिक प्रयोजनार्थ की भूमि एवं मास्टर प्लान में आये हुए ग्रामों अथवा मास्टर प्लान से प्रभावित ग्रामों को छोड़ कर, यहां तक कि ग्राम पंचायत द्वारा बनाये गए मास्टर प्लान से प्रभावित भूमि को भी छोड़ कर**) भूमि पर बसे **मकानों का जहां रहवासी दिनांक 01.1.2017 को कम से कम 3 वर्ष अथवा इससे अधिक की अवधि से पूर्व मकान बना कर रह रहे हैं, का संयुक्त सर्वे किया जायेगा** । सर्वे के अनुसार सूची तैयार करेंगे तथा सूची के साथ उस व्यक्ति के दिनांक 01.1.2017 से पूर्व **3 वर्ष अथवा इससे अधिक की अवधि से** रहने के प्रमाणीकरण हेतु राशन कार्ड, वोटर आईडी, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, बिजली/पानी/टेलीफोन बिल में से कोई एक दस्तावेज जिस पर मकान का पता वर्णित हो, संलग्न करेंगे । उपरोक्तानुसार सर्वे उपरांत तैयार की गई सूची ग्रामसेवक एवं पटवारी दोनों के हस्ताक्षर कर, सम्बन्धित तहसीलदार को प्रस्तुत की जायेगी ।

2. सर्वे के दौरान यह ध्यान रखा जाये कि जहां ग्राम की वर्तमान आबादी भूमि से जुड़ी हुई सिवायचक भूमि पर मकान बने हों, उन्हें सेटअपार्ट हेतु सर्वे में सम्मिलित किया जाये । इससे अन्यत्र ऐसी सिवायचक भूमि जहां पर मकान बिखरे/छितरे हुए हों ऐसी सिवायचक भूमि पर कम से कम पांच मकान बने होने पर ही उन्हें सर्वे

मे सम्मिलित किया जाये, इससे कम मकान होने की स्थिति में उन्हें सर्वे में सम्मिलित नहीं किया जाये। यह कार्यवाही 15 दिवस में आवश्यक रूप से पूर्ण कर ली जाये ।

3. तहसीलदार द्वारा उपरोक्तानुसार प्राप्त सूची पर राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 07.09.2017 के बिन्दु सं01 सूची में खसरा नम्बर एवं अतिक्रमित कर निर्मित आवासगृहों का क्षेत्रफल एवं नजरी नक्शें की प्रति जिसमें आवागमन हेतु रास्ते दर्शाये गये हों सहित सेटअपार्ट के प्रस्ताव तैयार कर उपखण्ड अधिकारी को भिजवाये जायेंगे ।

4. उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्राप्त प्रस्तावों पर सक्षम स्तर से सेटअपार्ट करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें ।

5. सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा उपरोक्तानुसार सेटअपार्ट की गई भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में आबादी भूमि के रूप में ग्राम पंचायत के नाम दर्ज किया जाकर जमाबन्दी की प्रति सहित विकास अधिकारी को प्रेषित की जायेगी ।

6. विकास अधिकारी का यह दायित्व होगा कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम–165 की पालना करवाते हुए, सम्बन्धित रहवासियों को ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे जारी करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे । राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 165(4) में अतिक्रमणों का विनियमन कर आवंटन करने का प्रावधान इस प्रकार से है:–

165. पंचायत भूमि पर के अतिचारियों का सर्वेक्षण और अतिक्रमणों का हटाया जाना (4) यदि पंचायत की यह राय हो कि यदि ऐसे अतिचार का विनियम कर दिये जाने से नियम 146 में उल्लिखित शर्तों का अतिक्रमण नहीं होगा तो वह अतिचारी भूमि को बाजार कीमत पर आंवटित करने का विनिश्चय कर सकेगी।

7. ग्राम पंचायत द्वारा उक्तानुसार नियमों की पालना करते हुए पट्टा जारी करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि वह एक परिवार को अधिकतम 300 वर्गगज या वास्तविक क्षेत्रफल, इसमें से जो भी कम हो, का ही पट्टा जारी करें ।

8. **ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्तानुसार जारी किया जाने वाला पट्टा अहस्तान्तरणीय (Non-transferable) होगा ।**

9. ग्राम पंचायत द्वारा ऐसे किसी परिवार को पट्टा नहीं दिया जायेगा यदि उस ग्राम पंचायत में उस परिवार के पास पूर्व में ही आवासीय मकान/आवासीय भूखण्ड है ।

समस्त ज़िला कलेक्टर से यह अपेक्षा है कि उपरोक्तानुसार सर्वे का कार्य तथा तहसीलदार के पास सर्वे आधारित सूचियां 15 दिवस की अवधि में तथा तहसीलदार द्वारा सेटअपार्ट के प्रस्ताव तैयार कर सक्षम अधिकारी द्वारा सेटअपार्ट की कार्यवाही किये जाने सम्बन्धित कार्य आगामी एक सप्ताह में करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

(खेमराज)
अतिरिक्त मुख्य सचिव
राजस्व विभाग

(सुदर्शन सेठी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव
ग्रा0 वि0 एवं पं0 राज

प्रतिलिपिः—

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार ।
2. विशिष्ट सहायक, मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पं0 राज, राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक, मंत्री, राजस्व विभाग ।
4. विशिष्ट सहायक, राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पं0 राज, राजस्थान।
5. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, ग्रा0वि0 एंव पं0 राज ।
6. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, राजस्व विभाग ।

30/11/2017
उप शासन सचिव(विधि)

IMMEDIATE

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज विभाग)

क0एफ.4(78)सिवायचक/नियमन/विधि/पंरा/2017/691 जयपुर,दि0:22.5.2018

ज़िला कलेक्टर,
समस्त, राजस्थान ।

विषयः— ग्रामीण क्षेत्रों में आवास गृहों के पट्टे दिये जाने बाबत ।
प्रसंगः— विभागीय पत्र क0एफ.4(78) सिवायचक/ नियमन/विधि/ पंरा/2017/1974 दिनांक 10.5.2018 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा आपको निर्देशित किया गया था कि राजस्व विभाग के परिपत्र प.9(6)राज–6/2000/10 दिनांक 07.9.2017 में वर्णित भूमि पर बसे मकानों का ग्राम सेवक एवं पटवारी के द्वारा संयुक्त सर्वे करवाया जाकर, सेटअपार्ट की कार्यवाही किये जाने सम्बन्धित कार्य निर्धारित समयावधि में सुनिश्चित किया जाये, ताकि संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा ऐसी भूमियों के रहवासियों को पट्टे जारी किये जा सकें । उपरोक्त पत्र के क्रम में यह निर्देशित किया जाता है किः—

1. जिन ग्राम पंचायतों में राजस्व लोक अदालत अभियानः न्याय आपके द्वार–2018 अभियान के शिविर आयोजित हो चुके हैं, वहां अविलम्ब ग्रामसेवक एवं पटवारी द्वारा किया जाने वाला संयुक्त सर्वे आरम्भ किया जाये । जहां उक्त शिविर अब आयोजित होने हैं, वहां की ग्राम पंचायतों में उक्तानुसार सर्वे कार्य शिविर आयोजन की तिथि से पूर्व सम्पन्न करवाया जाकर सैट अपार्ट आदि किये जाने की अग्रिम कार्यवाही की जाये ।
2. उपरोक्त सर्वे की जाने वाली भूमि के अलावा ग्राम पंचायतों द्वारा उनकी आबादी भूमि पर बसे रहवासियों को भी इस अभियान में पट्टे दिये जाने हैं । इस बाबत राज्य सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि कतिपय ग्राम पंचायतों को स्वयं के क्षेत्राधिकार की आबादी भूमि का सीमा ज्ञान नहीं है

अथवा उनके पास उपलब्ध रिकार्ड में आबादी भूमि के खसरा नम्बर की जानकारी नहीं है, इस कारण वहां ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे जारी किये जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है । अतः आप संबंधित तहसीलदार एवं पटवारियों को पाबन्द करें कि वे ऐसी ग्राम पंचायतों के अनुरोध पर उन्हें आबादी भूमि का सीमा ज्ञान करायें तथा राजस्व रिकार्ड के आधार पर आबादी भूमि के खसरा नम्बर की जानकारी ग्राम पंचायत को उपलब्ध करायें । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जिन ग्राम पंचायतों के पास स्पष्ट रूप से आबादी भूमि का रिकार्ड उपलब्ध है, वहां ग्राम पंचायत द्वारा पटवारी से प्रत्येक पट्टा आवंटन की मिसल पर आबादी भूमि होने की रिपोर्ट अंकित करवाया जाना आवश्यक नहीं है ।

22.5.18.

(अजिताभ शर्मा)
शासन सचिव
राजस्व विभाग

(कुंजी लाल मीना)
शासन सचिव एवं आयुक्त
पंचायती राज विभाग

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार ।
2. विशिष्ट सहायक, मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पं0 राज, राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक, मंत्री, राजस्व विभाग ।
4. विशिष्ट सहायक, राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पं0 राज, राजस्थान।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा0वि0 एवं पं0 राज ।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज ।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग ।
8. संयुक्त निदेशक(मो0), पंचायती राज विभाग इसकी प्रगति प्रपत्र में सूचना अपलोड करने का दायित्व निर्वहन करेंगे ।

22/5/2018

संयुक्त शासन सचिव(विधि)

प्रतिलिपि: ACP, मुख्यालय को प्रेषित कर अनुरोध है कि यह पत्र विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करावें।

(बी. डी. कृपलानी)
अति. प्रशासनिक अधिकारी
पंचायत राज विभाग
शासन सचिवालय, ज...

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्र0एफ.(78)सिवायचक / नियमन / विधि / परा / 2017 / 659 दिनांक 25.05.2018

संभागीय आयुक्त / जिला कलक्टर
समस्त, राजस्थान।

विषय—ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर बने आवास गृहों के पट्टे दिये जाने बाबत।

प्रसंग— विभागीय पत्र क्र0एफ.(78)सिवायचक / नियमन / विधि / परा / 2017 / 1974 दिनांक 10.05.2017

उपरोक्त प्रासांगिक पत्र द्वारा आपको निर्देशित किया गया था कि ग्राम पंचायत स्तर पर संबंधित ग्राम सेवक एवं पटवारी दोनों के द्वारा राजस्व विभाग के परिपत्र प. 9(6) राज—6 / 2000 / 10 दिनांक 07.09.2017, 30.11.2017 एवं 10.05.2018 में वर्णित (विधि द्वारा वर्जित / प्रतिबंधित श्रेणी / सार्वजनिक प्रयोजनार्थ की भूमि एवं मास्टर प्लान में आये हुए ग्रामों अथवा मास्टर प्लान से प्रभावित ग्रामों को छोड कर यहां तक कि ग्राम पंचायत द्वारा बनाये गए मास्टर प्लान से प्रभावित भूमि को भी छोड कर) भूमि पर बसे मकानों का जहां रहवासी दिनांक 01.01.2017 को कम से कम 3 वर्ष अथवा इससे अधिक की अवधि से पूर्व मकान बना कर रह रहे हैं, का संयुक्त सर्वे करवाया जाकर, तहसीलदार द्वारा सेटअपार्ट के प्रस्ताव तैयार कर उपखण्ड अधिकारी द्वारा सेटअपार्ट की कार्यवाही किये जाने उपरान्त संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा ऐसी भूमि के रहवासियो को पट्टे जारी किये जाने है।

राज्य में राजस्व लोक अदालत अभियानः न्याय आपके द्वार —2018, दिनांक 01.05.2018 से 30.06.2018 तक चलाया जा रहा है।ग्रम पंचायतों द्वारा अभियान से पूर्व एवं अभियान के दौरान ऐसी भूमि के रहवासियो को दिए गए पट्टे की प्रगति की सूचना ई—पंचायत पोर्टल पर ऑनलाइन भिजवाई जावे। साथ ही जिन ग्राम पंचायतों में अभियान के दौरान उक्त सर्वे एवं पटटे जारी करने का कार्य नहीं हुआ है उन पंचायतों में भी सर्वे एवं पटटे जारी करने का कार्य कराया जावे और जिन ग्राम पंचायतों में अभियान होना है उनमें अभियान से पूर्व नियत प्रक्रिया को अपनाकर अभियान दिवस पर पटटे जारी कराने का कार्य सुनिश्चित करें।

आप इस अभियान के दौरान उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी एवं तहसीलदार की संयुक्त बैठक लेकर उनको निर्देशित करें ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर बने आवास गृहों के पट्टे विभागीय समसंख्यक पत्र क्रमांक 1974 दिनांक 10.05.2017 के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अधिक से अधिक ऐसे भूमि के रहवासियों को पट्टे जारी हो सकें।

आपके जिलें में आयोजित न्याय आपके द्वार –2018 के अभियान की प्रगति संलग्न प्रारूप में प्रतिदिन ई–पंचायत पोर्टल पर ऑनलाइन भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही पूर्व में आयोजित अभियानों की प्रगति की सूचना भी उक्त पोर्टल पर तत्काल अपडेट कराई जावे।

(अजिताभ शर्मा) 25.5.18
शासन सचिव
राजस्व विभाग

(कुंजी लाल मीना)
शासन सचिव एवं
आयुक्त, पंचायती राज विभाग

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री,राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक, मंत्री राजस्व विभाग, राजस्थान।
4. निजी सचिव,प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव राजस्व विभाग।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (समस्त) को पालनार्थ।
8. रक्षित पत्रावली।
9. एनालिस्ट, पंचायती राज विभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु प्रेषित है।

25/5

संयुक्त निदेशक (मो0)
पंचायती राज विभाग

पंचायती राज - सरकारी भूमि पर पट्टों का ~~[illegible]~~ आवंटन

RCSHARMA

Integrated e-Panchayat

नोट: आपके द्वारा दर्ज कि गए आंकड़ें/सूचनाएं अथवा विवरण को किसी भी प्रकार से बदलना या अपडेट करना संभव नहीं होगा, अतः सूचना भरते समय सावधानी बरतें।

Note: It will not be possible to change or update any data / information or details you have entered, so be careful while filling the information.

Note: Enter the amount in Rupees where you have to enter the amount. Enter the information in all the available forms only in the numeric form. Please do not enter any special character in any text box.

Download Xls/Spreadsheet Format | Download Training PPT 30-4-2018

जिला परिषद् * | पंचायत समिति * | ग्राम पंचायत *

शिविर कैलेंडर * ----- | विभाग * पंचायती राज (सरकारी भूमि पर बने आवास गृहों के पट्टे)

Print

सरकारी भूमि पर बने आवास गृहों के पट्टे से सम्बन्धित सूचना

क्या ग्राम सेवक एवं पटवारी द्वारा सर्वे कर लिया गया है — हाँ

सर्वे में चिन्हित कुल परिवार

उपखण्ड अधिकारी द्वारा सेट अपार्ट की कार्यवाही किये गए परिवार कि संख्या

तहसीलदार द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में आबादी भूमि में दर्ज किये गए परिवार की संख्या

ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टों की संख्या

आबादी भूमि में जारी पट्टे

नियम 157 के तहत पुराने भवनों का विनियमितिकरण पट्टा आवंटन अभियान की प्रगति	नियम 157 के तहत वर्ष 2003 तक के कब्जों का निःशुल्क नियमितिकरण पट्टा आवंटन की प्रगति	नियम 158 के तहत भूमि आवंटन रियायती दर पर पट्टा आवंटन अभियान की प्रगति	नियम 158 के तहत बी. पी. एल. एवं गाडिया लुहार के परिवारों को निःशुल्क भू-खण्ड आवंटन पट्टा आवंटन अभियान की प्रगति	विक्रय के तहत आवंटित पट्टे की प्रगति	नियम 162 के तहत ... आवंटन भूमि पट्टा आवंटन ...

Save

IMMEDIATE

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्र0एफ.4(78)सिवायचक/नियमन/विधि/पंरा/2017/**1974** जयपुर,दि0: **10.5.2018**

ज़िला कलेक्टर,
समस्त, राजस्थान ।

विषयः— ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर बने आवास गृहों के पट्टे दिये जाने बाबत ।

प्रसंगः— विभागीय पत्र क्र0एफ.4(78) सिवायचक/ नियमन/विधि/ पंरा/2017/1469 दिनांक 30.11.2017 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा आपको निर्देशित किया गया था कि ग्राम पंचायत स्तर पर सम्बन्धित ग्राम सेवक एवं पटवारी दोनों के द्वारा राजस्व विभाग के परिपत्र प.9(6)राज–6/2000/10 दिनांक 07.9.2017 में वर्णित (**विधि द्वारा वर्जित/प्रतिबंधित श्रेणी/ सार्वजनिक प्रयोजनार्थ की भूमि एवं मास्टर प्लान में आये हुए ग्रामों अथवा मास्टर प्लान से प्रभावित ग्रामों को छोड़ कर, यहां तक कि ग्राम पंचायत द्वारा बनाये गए मास्टर प्लान से प्रभावित भूमि को भी छोड़ कर**) भूमि पर बसे **मकानों का जहां रहवासी दिनांक 01.1.2017 को कम से कम 3 वर्ष अथवा इससे अधिक की अवधि से पूर्व मकान बना कर रह रहे हैं, का संयुक्त सर्वे करवाया** जाकर, तहसीलदार द्वारा सेटअपार्ट के प्रस्ताव तैयार कर उपखण्ड अधिकारी द्वारा सेटअपार्ट की कार्यवाही किये जाने सम्बन्धित कार्य सुनिश्चित किया जाये, ताकि संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा ऐसी भूमियों के रहवासियों को पट्टे जारी किये जा सकें ।

वर्तमान में राज्य में दिनांक 1.5.2018 से 30.6.2018 तक राजस्व लोक अदालत अभियानः न्याय आपके द्वार–2018 अभियान चलाया जा रहा है । राज्य सरकार की मंशा है कि इस अभियान के तहत उपरोक्तानुसार प्रासंगिक पत्र में दिये गए निर्देशों की पालना में संबंधित रहवासियों को भी पट्टे दिये जायें ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप प्रासंगिक पत्र दिनांक 30.11.2017 में दिये गए निर्देशानुसार सर्वे के कार्य से लेकर संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा पट्टे दिये जाने के कार्य को निम्नलिखित समयावधि में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करायें:—

10/5/18

क्र0सं0	किया जाने वाला कार्य	निर्धारित समयावधि
1.	ग्रामसेवक एवं पटवारी द्वारा किया जाने वाला संयुक्त सर्वे	**7 दिवस**
2.	तहसीलदार द्वारा उक्त सर्वे रिपोर्ट के आधार पर सेटअपार्ट हेतु प्रस्ताव तैयार कर संबंधित SDO को भिजवाया जाना	**3 दिवस**
3.	उपखण्ड अधिकारी द्वारा सेटअपार्ट की कार्यवाही किया जाना	**3 दिवस**
4.	सेटअपार्ट की गई भूमि का तहसीलदार द्वारा राजस्व रिकार्ड में आबादी भूमि के रूप में ग्राम पंचायत के नाम दर्ज कर, जमाबन्दी की प्रति संबंधित विकास अधिकारी, पंचायत समिति को दिया जाना	**2 दिवस**
5.	संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 165(4) की कार्यवाही कर, संबंधित को पट्टे जारी करना	**15 दिवस**

10.5.18.

(अजिताभ शर्मा)
शासन सचिव
राजस्व विभाग

10/5/18

(कुंजी लाल मीना)
शासन सचिव एवं आयुक्त
पंचायती राज विभाग

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार ।
2. विशिष्ट सहायक, मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पं0 राज, राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक, मंत्री, राजस्व विभाग ।
4. विशिष्ट सहायक, राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पं0 राज, राजस्थान।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा0वि0 एवं पं0 राज ।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज ।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग ।
8. संयुक्त निदेशक(मो0), पंचायती राज विभाग इसकी प्रगति प्रपत्र में सूचना अपलोड करने का दायित्व निर्वहन करेंगे ।

10/5/18

संयुक्त शासन सचिव(विधि)